WWW.LIVELAW.IN

ज्ञापांक– 87 /अप0शा0

पुलिस अधीक्षक(नगर) का कार्यालय, धनबाद।
धनबाद, दिनांक– 08.01.2020

सेवा में,

पु0अ0नि0 संतोष कुमार,
प्रभारी, थाना प्रभारी,
धनबाद थाना।

विषय :– स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि प्रशांत कुमार लायक, अंचल अधिकारी, धनबाद के द्वारा दिनांक–07.01.2020 को CAA/NRC/NRP के विरूद्ध काफी संख्या में वासेपुर के लोगों द्वारा बिना सूचना के गया पुल से पूजा टॉकी/सिटी सेंटर/रणधीर वर्मा चौक तक जुलुस प्रदर्शन करने के संबध में लिखित आवेदन के आधार पर 07 नामजद एवं करीब 3000 अज्ञात के विरूद्ध धनबाद थाना में कांड सं0–12/2020, दिनांक–07.01.2020, धारा–143/145/149/186/188/290/291/336/153ए/153बी/124ए भा0द0वि0 दर्ज किया गया है। उल्लेखनीय है कि आपके द्वारा इस कांड में धारा–124ए का भी समावेश किया गया है, जबकि आवेदन के अवलोकन से धारा–124ए लगाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके द्वारा प्राथमिकी के आवेदन को गहराई से बिना अवलोकन के ही कांड पंजीकृत किया गया है। जो आपके घोर लापरवाही, मनमानेपन, स्वेच्छाचारिता एवं एक अयोग्य पुलिस पदाधिकारी होने का परिचायक है।

अतः उक्त त्रुटि के लिए अपना स्पष्टीकरण तीन दिनों के अंदर समर्पित करना सुनिश्चित करें। ससमय स्पष्टीकरण समर्पित नही रहने पर आपके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

8/1/2020

पुलिस अधीक्षक(नगर),
धनबाद।

प्रति0 :– 1.वरीय पुलिस अधीक्षक, धनबाद को कृपया सूचनार्थ प्रेशित।

8/1/2020

पुलिस अधीक्षक(नगर),
धनबाद।